दैनिक
न्याय साक्षी

खबरें खास

रायगढ़,मंगलवार 17 मार्च 2020
www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

घर का छज्जा गिरने से युवक घायल

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोतरा रोड राइनो को दिनांक 16.03.2020 के सुबह 9:00 बजे गोहड़ीडिपा सराईपाली में एक्सीडेंट का इवेंट मिला। गोहडीडिपा सराईपाली में रहने वाले सलमान चौहान पिता मोहन चौहान उम्र 26 साल अपने घर का छज्जा बना रहा था, छज्जा गिर जाने से सलमान चौहान काफी घायल हो गया था जिसे अस्पताल पहुंचाने के लिए परिजनों द्वारा डायल 112 को सूचना दिया गया । डायल 112 कोतरा रोड राइनो द्वारा आहत को ईआरव्ही में लाकर केजीएच में भर्ती कराया गया है।

कक्षा 12 वीं के परीक्षा में 14529 परीक्षार्थी हुए सम्मिलित

» पाठ्यक्रम विषय की राजनीति, रसायन, बूक कीपिंग, क्राप प्रोड, फिजियोलाजी, स्टिल लाईफ व आधार

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा 2020 अंतर्गत रायगढ़ जिले में आज कक्षा 12 वीं राजनीति, रसायन, बूक कीपिंग, क्राप प्रोड, फिजियोलाजी, स्टिल लाईफ व आधार पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित हुई। जिसमें 14839 दर्ज परीक्षार्थियों में 14529 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिलाई। 310 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।

6आदिवासी परियोजनाओं के आंगनबाड़ी केन्द्रों में गणवेश वितरण के लिए स्व-सहायता समूहों से प्रस्ताव आमंत्रित

» 23 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं जमा

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिले के 6 आदिवासी बाल विकास परियोजना घरघोड़ा, तमनार, धरमजयगढ़, लैलूंगा, कापू एवं मुकडेगा के आंगनबाड़ी केन्द्रों में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 9600 बालक एवं 9616 बालिका कुल 19216 बालक-बालिकाओं हेतु गणवेश सिलाई कर आंगनबाड़ी केन्द्रों में वितरण कार्य किए जाने हेतु स्थानीय महिला स्व-सहायता समूहों से 23 मार्च 2020 तक प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है। इच्छुक समूह नियत तिथि तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला-रायगढ़ में आवेदन जमा कर सकते है। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

वन मंत्री श्री अकबर द्वारा लघु वनोपज आधारित विकास योजना की समीक्षा 17 मार्च को

रायपुर। वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर द्वारा 17 मार्च को अपरान्ह 3 बजे मंत्रालय स्थित सभागार एम 3-16 में लघु वनोपज आधारित विकास योजना के संबंध में समीक्षा की जाएगी। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस जांच की व्यवस्था होगी सुदृढ़

» माना में 60 बिस्तरों का आइसोलेशन वार्ड, 6 वेंटीलेटर्स की सुविधा

रायपुर। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर विदेश से लौटने वाले लोगों के कोरोना वायरस संक्रमण की जांच की व्यवस्था को और पुख्ता किया जाएगा। विदेश यात्रा से लौटने वाले व्यक्तियों द्वारा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने और उनकी जांच के लिए एयरपोर्ट अधिकारियों से बेहतर समन्वय बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ने आज माना स्थित आइसोलेशन सेंटर में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय कंट्रोल एंड कमांड सेंटर एवं ष्टह्लङ्कढ्ढष्ठ-19 के लिए गठित राज्य स्तरीय कोर कमेटी की बैठक में रायपुर की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में कोरोना वायरस की जांच और इलाज के इंतजामों की भी समीक्षा की। स्वास्थ्य सचिव ने बैठक में जानकारी दी कि जगदलपुर, रायगढ़ और रायपुर में कोरोना वायरस की जांच हेतु लैब स्थापित करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर अनुरोध किया जाएगा। प्रदेश के मेडीसिन और एनेस्थेशिया विशेषज्ञों को चिन्हाँकित कर वेंटीलेटर के उपयोग पर मेडिकल स्टॉफ के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।

कलेक्टर ने विभागों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक आयोजित

» कोरोना के संक्रमण से रोकथाम व बचाव की तैयारियों की हुई गहन समीक्षा

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने राज्य शासन द्वारा जारी एडवायजरी के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु की जा रही तैयारियों की गहन समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि लोगों के बीच प्रचार-प्रसार कर यह बतायें कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बतायी गई सावधानियां बरतकर इसे फैलने से रोका जा सकता है। आगे उन्होंने सीएमएचओ से कहा कि जिले के

समस्त अस्पतालों व क्लीनिक में चिकित्सकीय स्टॉफ को कोरोना वायरस के संबंध में शासन के एडवायजरी के अनुरूप कार्य करने हेतु निर्देशित करें। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाये व सारी तैयारी रखें। लोगों को किसी भी प्रकार की शंका पर चिकित्सकी परामर्श लेने हेतु जागरूक करें तथा कोरोना के संबंध में बनाये गये ट्रीटमेन्ट प्वाईंट का भी व्यापक प्रचार-प्रसार करें। समस्त एसडीएम को निर्देशित किया कि आगामी नवरात्रि के मेलो व आयोजन के संबंध में ट्रस्टी व आयोजन समिति की बैठक लेकर विषय की गंभीरता से अवगत कराते हुए भीड़ भरे आयोजन न कराने के प्रबंध करने के निर्देश दिए।

सीएमएचओ तथा ड्रग कंट्रोलर को मॉस्क तथा हेण्ड सेनेटाइजर की कालाबाजारी न हो यह सुनिश्चित करने के लिए कहा। मेडिकल कालेज के अतिरिक्त अपेक्स, मेट्रो तथा जिंदल हास्पिटल में सेम्पल कलेक्शन की तैयारियां पूर्ण कराने के निर्देश दिए। विकासखण्ड स्तर पर सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भी पूरी गंभीरता से कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। सभी अधिकारी-कर्मचारियों की छुट्टी को निरस्त करने की बात कही।

कलेक्टर यशवंत कुमार ने समय-सीमा की बैठक में व्यवसायिक प्रयोजन में उपयोग किए जा रहे आबादी जमीन का सर्वे कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कहा। लम्बे समय से गैर निराकृत प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को कहा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आईपीडी के प्रकरण तथा उनके विरूद्ध क्लेम की जानकारी सीएमएचओ को शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। खाद्य अधिकारी को नवीनीकृत राशन कार्ड, एपीएल के राशन कार्डों को शीघ्र निर्माण कर वितरित कराने के लिए कहा।

साथ ही उचित मूल्य के दुकानों को अग्रिम में प्रदाय राशन सामग्री के लंबित राशि की वसूली पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा, जिला पंचायत सीईओ सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, नगर निगम आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी, समस्त एसडीएम एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

शादी का प्रलोभन देकर युवती से दुष्कर्म जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कापू में दिनांक 15.03.2020 को थाना लखनपुर जिला सरगुजा में रहने वाली 14 वर्षीय बालिका द्वारा उसके रिस्तेदार नारायण पिता शंभ्भू कंवर निवासी क्रिन्धा थाना कापू के विरूद्ध शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। पीडिता का कापू में अपने नजदीकी रिस्तेदार के यहां आना जाना था, उसी दौरान नारायण कंवर इसे पसंद करता हूं, शादी करूंगा कहकर जुलाई 2019 से शरीरिक संबंध बनाने लगा । बालिका के परिजनों को पता चला तो नारायण कंवर अपनाने के लिये राजी हो गया था किन्तु थोड़े ही दिन बाद अपनी बात से मुकर गया और बालिका को साथ रखने से इंकार कर दिया । बालिका अपने गांव की आंगनबाडी कार्यकर्ता को बतायी जो इसे चाईल्ड लाईन अम्बिकापुर का फोन नम्बर दी । चाईल्ड लाईन अम्बिकापुर वालों ने बालिका को बाल कल्याण समिति अम्बिकापुर के समक्ष पेश किये । जहां कुछ दिन रहने के बाद पीडिता थाना कापू में आकर नारायण कंवर के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी है , रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 16/2020 धारा 376(2)(एन) भादवि, जेड पोक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।

सासंद, विधायक, सचिव खाद्य सहित अन्य वरिष्ठजनों ने पार्वतीपुर पहुंचकर स्व. दखलूराम भगत को दी श्रद्धांजलि

रायपुर। खाद्य एवं संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत के पिता स्वर्गीय श्री दखलूराम भगत को सासंद, विधायक, सचिव खाद्य सहित अन्य वरिष्ठजनों ने उनके गृहग्राम पार्वतीपुर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी।

भगत के परिवारजनों से मुलाकात करने राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, विधायक श्री कुंवरसिंह निषाद, संगीता सिन्हा, विनोद सेवन लाल चंद्राकर, डॉ. विनय जायसवाल, श्री इन्द्राशाह मंडावी, श्री भुनेश्वर सिंह बघेल सहित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, विशेष सचिव श्री आर.प्रसन्ना, आईपीएस श्री के. कश्यप, श्री टी. एक्का, श्री एस. एस. सूरी, सुश्री मधुलिका सिंह व जिला सहकारी बैंक अम्बिकापुर के अध्यक्ष श्री रामदेव राम, नगर निगम अम्बिकापुर के सभापति श्री अजय अग्रवाल, श्री लल्लन प्रताप सिंह पूर्व सभापति, श्री अमित प्रताप, लखनपुर जनपद उपाध्यक्ष, श्री सत्यनारायण शर्मा के पुत्र श्री पंकज शर्मा, बिश्रामपुर व चिरमिरी एस.ई.सी.एल के उच्च अधिकारी, स्व. श्री उदय मुदलियार के सुपुत्र श्री जितेंद्र मुदलियार, श्री अनूप तिवारी वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री जे.पी. गुप्ता अधिवक्ता, श्री विनोद जायसवाल, जिला पंचायत सदस्य, श्री दीपक गुप्ता जनपद अध्यक्ष, श्री कौसल सिंह पूर्व सरपंच, श्री मुकेश शर्मा ग्राम पार्वतीपुर पहुंचे।

इस दौरान सभी नें मंत्री श्री भगत के स्वर्गीय पिता श्री दखलूराम भगत को श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिजनों को इस कठिन दुःख की घड़ी को सहने की शक्ति देने ईश्वर से प्रार्थना की।

डायल 112 राइनो स्टाफ में वितरण कराया गया मास्क व हैंड ग्लव्स

न्याय साक्षी/रायगढ़। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों द्वारा एहतियातन सावधानियां बरतने के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपातकालीन सेवा, डायल 112 राइनो में लगे आरक्षक एवं वाहन चालक जो प्रत्येक इवेंट पर मौके पर पहुंचकर आमजन को मदद पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं, ये कर्मचारीगण अक्सर भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों के भ्रमण पर रहते हैं, जिससे इन कर्मचारियों को संक्रमण, वायरस प्रभावित कर सकती है जिसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक रायगढ़ संतोष कुमार सिंह द्वारा आज मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से 40 मास्क व करीब 100 हैंड ग्लव्स मंगवाकर राइनो में कार्यरत आरक्षकों एवं वाहन चालकों में वितरण कराया गया है।

परिजनों की लापरवाही से 10 माह का बच्चा गर्म मांड से जला, राइनो को इवेंट

न्याय साक्षी/रायगढ़। लैलूंगा राइनो को दिनांक 16.03.2020 के सुबह 8:20 बजे ग्राम गिरधापारा में 10 माह के बच्चे के लिए मेडिकल इमरजेंसी का इवेंट मिला। ग्राम गिरधापारा में रहने वाले प्रदीप सिदार का 10 माह का लड़का राकेश सिदार चावल के गर्म मांड में आ जाने से उसका हाथ,सीना, पीठ झुलस गया था जिसे राइनो स्टाफ द्वारा सीएचसी लैलूंगा इलाज के लिए पहुंचाया गया है।

अपर मुख्य सचिव श्री साहू और प्रमुख सचिव श्री द्विवेदी को सौंपे गए नवीन दायित्व

रायपुर। राज्य शासन द्वारा अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू और प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी को नवीन दायित्व सौंपे गए हैं।

इसके तहत श्री सुब्रत साहू अपर मुख्य सचिव, गृह एवं जेल विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानिदेशक, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी), रायपुर तथा विकास आयुक्त, रायपुर को आगामी आदेश पर्यन्त मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव के पद पर पदस्थ करते हुए अपर मुख्य सचिव, गृह एवं जेल विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्य एवं उद्योग (रेल लाईन परियोजनाएं) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया हैं। इसी तरह श्री गौरव द्विवेदी प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा अतिरिक्त प्रभार प्रमुख सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (रेल लाईन परियोजनाएं) प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन को छोड़कर) विभाग, प्रमुख सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को आगामी आदेश पर्यन्त प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए विकास आयुक्त एवं महानिदेशक, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी), रायपुर तथा प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन को छोड़कर) विभाग तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया हैं।

कोषालयों में देयक स्वीकार करने की अंतिम तिथि 25 मार्च तक

» वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों को पत्र जारी

रायपुर। राज्य शासन द्वारा कोषालयों तथा उप कोषालयों में वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट से संबंधित देयक स्वीकार करने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत समस्त विभागों के लिए वर्ष 2019-20 से संबंधित समस्त देयक कोषालय तथा उप कोषालयों में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2020 निर्धारित की गई है। समस्त कोषालय अधिकारी 25 मार्च तक प्राप्त समस्त देयकों का निराकरण 31 मार्च 2020 तक किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

आज यहां मंत्रालय महानदी भवन स्थित वित्त विभाग से अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त संभागीय आयुक्त, विभागध्यक्ष, कलेक्टर और कोषालय तथा उप कोषालय अधिकारियों को इस आशय का पत्र जारी कर शत्-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत सभी विभागों द्वारा अंतिम तिथि के पश्चात् वित्त विभाग की अनुमति से 30 मार्च 2020 तक ही देयक कोषालय तथा उप कोषालयों में जमा किए जा सकेंगे। 25 मार्च 2020 तक कोषालय द्वारा स्वीकार किए गए देयकों पर ली गई आपत्तियों के नियमानुसार निराकरण कर प्रस्तुत किए जाने वाले देयकों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा। वित्त विभाग द्वारा 25 मार्च 2020 के पश्चात् यदि कोई सहमति अथवा स्वीकृति जारी की गई है तो उन प्रकरणों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

इनमें भारत सरकार से प्राप्त राशि से संबंधित देयकों तथा विधायकों के स्वत्वों से संबंधित देयकों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। राजभवन सचिवालय, विधानसभा सचिवालय तथा मुख्यमंत्री सचिवालय के अधीन गठित प्रकोष्ठ, प्राधिकरण, मुख्यमंत्री सचिवालय तथा निवास कार्यालय से संबंधित प्राप्त देयकों और उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित देयकों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। समस्त कोषालय अधिकारियों को 25 मार्च 2020 को प्राप्त अंतिम देयक का प्रकार, बीटीआर क्रमांक तथा देयक राशि वित्त विभाग को फैक्स क्रमांक 0771-2221204 पर उक्त दिवस के कार्यालयीन समय के तुरंत बाद अवगत कराने के लिए निर्देशित किया गया है। 26 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक कोषालयों तथा उप कोषालयों द्वारा जारी किए गए।

युवती से छेड़खानी जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़ । थाना तमनार अन्तर्गत रहने वाली 26 साल की युवती जीवन स्टील कंपनी पूंजीपथरा के ठेकेदार सुनील अग्रवाल के द्वारा गाली गलौज एवं छेडछाड करने संबंधी आवेदन देकर आज थाना पूंजीपथरा में रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। पीडिता बतायी कि प्लांट में ठेकेदार सुनील अग्रवाल के अधीन और भी महिलाएं काम करती है । दिनांक 06.03.2020 को युवती अपने सहेली के साथ प्लांट में काम कर रही थी, सुबह करीब 11 बजे ठेकेदार सुनील अग्रवाल दोनो को बुलाया और आपत्तिजनक बातें कहकर जंगल की ओर चलो कहने लगा । दोनों युवती जाने से मना की तो काम से निकाल देने की धमकी दिया और गाली गलौज कर एक युवती के हाथ पकड कर बेईज्जती करने के नियत से खीचने लगा तब ये लोग भाग गये । दिनांक 09.03.2020 को ठेकेदार सुनील अग्रवाल दोनों को काम से निकाल दिया। पीडिता के लिखित आवेदन पर अपराध क्रमांक 45/2020 धारा 294, 506, 354, 354(क) भादंवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।

कलेक्टर ने कोरोना वायरस के संबंध में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने जिले में लोगों से अपील की है कि आम जनता के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाईजरी के अनुसार गंभीरता से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तथा आवश्यक सावधानी बरतें। किसी भी प्रकार के लक्षण दिखने या शंका होने पर नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर परामर्श लें।

कोरोना वायरस कैसे फैलता है-

संक्रमित व्यक्ति के खुली जगह में छींकने या खांसने से, संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने, गले लगने से, संक्रमित जगह से संपर्क में आने के बाद बिना हाथ धोए अपनी आंख, मुंह व नाक को छूने से फैलता है।

कोरोना वायरस से बचाव के लिए- क्या करें

अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें, साबुन से लगातार हाथ धोते रहें, छीकनें और खांसने के दौरान अपना मुंह ढ़के, जब आपके हाथ गंदे दिखे तब अपने हाथों को साबुन और बहते पानी से धोएं, प्रयोग के तुरंत बाद टिशू को किसी बंद डिब्बे में फेंक दें एवं अस्वस्थ महसूस होने पर डॉक्टर से मिले।

> क्या न करें

यदि आपको खांसी या बुखार हो तो किसी से संपर्क में न आएं, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें, जीवित पशुओं से संपर्क या कच्चे अथवा अधपके मांस के सेवन से बचें, खेतों की यात्रा जीवित पशुओं के बाजारों में या जानवरों के वध किए जाने वाले स्थलों पर न जाएं।

नोवल कोरोना वायरस के लक्षण एवं बचाव के संबंध में एडवाईजरी जारी

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, रायगढ़ के दूरभाष नंबर 07762-232668, शासकीय जिला चिकित्सालय से अथवा राज्य सर्वेलेंस इकाई के दूरभाष नंबर 0771-2235091, 9713373165 या टोल फी नंबर 104 पर संपर्क कर सकते है

न्यायालय नजूल अधिकारी, रायगढ़ (छ.ग.)

ईश्तहार

सर्व साधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय में आवेदक महेश चिडीपाल आव स्व. माधोप्रसाद निवासी सदर बाजार रायगढ़ तहसील व जिला रायगढ़ के द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि 283/1 क्षेत्रफल 13236 वर्गफुट भूमि स्थित है। आवेदक की माता सरस्वती देवी एवं पत्नी कुसुम चिडीपाल का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, आवेदक के माता की मृत्यु दिनांक 20.12.2015 को हो गई है, आवेदक की माता की फौत उपरांत आवेदक उक्त आवेदित भूमि पर अपना नाम दर्ज किये जाने छ.ग. भू - राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत नामांतरण किये जाने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में यदि किसी हितबध्द पक्षकार अथवा व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वे अपना आपत्ति / दावा इस न्यायालय में सुनवाई तिथि 7/04/2020 को प्रातः 11:00 बजे तक स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति/ दावा पर विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 05.03.2020 को स्वयं के हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित कर जारी किया गया।

सील

नजूल अधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHH-